

भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.  
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH



विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- |    |                                    |   |                       |
|----|------------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | भूमि का प्रकार                     | : | जुबि                  |
| 2. | प्लाना                             | : | मोहनलालगंज            |
| 3. | भाग                                | : | भाकरगंज कला           |
| 4. | सम्पत्ति का विवरण<br>(सापत्ति नं०) | : | गुंगे खसरा संख्या-139 |
| 5. | मानन की इकाई                       | : | हेक्टेअर              |
| 6. | विक्रीत सापत्ति का क्षेत्रफल       | : | 0.2275 हेक्टेअर       |



रिश्ता शक



भारतीय नैरन्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

₹.  
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पट्टों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
9.	वॉरिंग/क्यूआ/अन्य	: कुछ नहीं
10.	प्रतिफल की वनराशि	: ₹ 12,36,235/-
11.	मालिकता	: ₹ 2,73,000/-
12.	रकम	: ₹ 55,500/-

पीछडी

खसरा नं०-100

पुरुब	: खसरा संख्या-131
पडियम	: खसरा संख्या-100
उत्तर	: खसरा संख्या-129
दक्षिण	: खसरा संख्या-108

Abhishek

Handwritten signature or initials.

भारतीय न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.  
25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.  
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

भारत  
INDIA

641067

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 5 -


पक्ष की संख्या-01

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

जिला का विवरण	:	जिला का विवरण
बदलू मुठ की गलीघर, निवासी- ग्राम- सटसना, पोस्ट-अर्जुनगंज, पठाना-किलनीट, तहसील व जिला-लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	:	अभिनेक मुठ सर्वजीत, निवासी -ग्राम व पोस्ट-कपेरा, म्हालपुर, मोहनतालगंज, लखनऊ। व्यवसाय - कृषि

01/04/21

Abhishek



0874 353939

### विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख बदलू पुत्र श्री गजोधर, निवासी- ग्राम-  
सारखवा, पोस्ट-अर्जुनगंज, परगना-खिजनीट, तहसील व जिला-  
लखनऊ जिन्हें आगे खिजनीट खतब गन्दा है, स्वम् अनिषेक पुत्र  
सर्वजीत, निवासी-ग्राम व पोस्ट-कपेटा, मदारपुर, मोहनलालगंज,  
लखनऊ, जिन्हें आगे खेला कहा गया है, से मर्या निष्पादित किया  
गया।

यह कि खिजनीट भूमि खसरा संख्या-130 रकबा 0.4550 हेक्टेअर में  
से अपना हिस्सा अर्थात् रकबा 0.2275 हेक्टेअर, खिजनीट-ग्राम-

01/01/21

Atthi etak

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 915401

- 5 -

माउमऊ बला, पटना व सहरील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के मालिक, कर्मिल व काबिल हैं तथा उपरोक्त सत्यापित मर्यादित खाता सतीनी क्रम संख्या 00135 के अनुसार जल भूमि विकला के नाम का जल दामद राज्य अभिलेखों में करे हो गया है, विकला अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे जमा खाता में बिना किसी और जबरदस्ती या धमक के, जेता को इस विकलाय विकला द्वारा विकला यह रहे हैं विकला उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कर्मिल व काबिल है एवं वर्तमान समय में जल भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विकला यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्गित भूमि सती प्रकार के सती में

Dr. S. S.

Signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

मुक्त एवं पाक व राक है तथा विवेका में उसे इस विवेक के पूर्व नहीं  
 नव, हिरा, गिरगी या अनुबन्धित हत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त मुगि  
 या उत्तरा कोई भाव कितनी न्यायालय या सटकारी कार्यवाही के  
 अन्तगत विवाद का पक्ष विषय नहीं है, न ही कुछ हत्यादि है। विवेका  
 के अलावा उक्त मुगि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वयं, हक या दावा  
 हत्यादि नहीं है, एवं विवेका को उक्त विषय अन्तर्गत करने का पूर्ण  
 अधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु०  
 12,36,235/- (दस लाख अठ्ठास हजार दो सौ पचास मात्र)  
 के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त गंगा डाटा विवेका को इस

म. नं. ५/सिविल


Abhishek

भारतीय नगर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विवेका यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विलेख उक्त अंश के साथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विलेख विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई नग दिया है, एवं विवेका ने विद्वान्यशुद्ध भूमि का सीले पर खजना अंश को बलपूर्वी करा दिया गया है। अब उक्त आदेशी पर विवेका तथा उसके वादिसान का कोई अधिकार नहीं है। विवेका ने विद्वान्यशुद्ध समस्त को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया ग इच्छा के लिए अंश को

Handwritten signature

Abhishek

हस्ताक्षरित कर दिया है। अब केला विक्रयशुद्ध सम्पत्ति एवं उसके लक्ष्यक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपभोग व उपयोग करेंगे। किन्तु इसमें किसी प्रकार की अड़बट बाधा नहीं उत्पन्न होगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुद्ध सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में न्युट्रि के कारण या कानूनी अड़बट या कानूनी न्युट्रि के कारण प्रतीत या उत्पन्न वादिसाल निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो केला उसके वादिसाल, निष्पादकगण इत्यादि को यह ठरूँगा कि वह अपना सम्स्त मुकदमान पथ हर्जा व खर्चा, किन्तु की घल, अथवा सम्पत्ति से करिये अदायत नसूज कर ले। उस स्थिति में किन्तु एवं उसके वादिसाल हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि केला विक्रयशुद्ध सम्पत्ति की दायित्व सारिज राजस्व अचिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें ता विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्ण एवं अगर कोई कलान्त किन्ती तरह का बाद इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको किन्तु भुगतान व नसूज करेगा, किन्तु को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त सारा नम्बर ग्राम माहमऊ कला, ताहसील-भोदनालाल के 'अतिविशेष ग्राम' के अन्तर्गत आता है, जिसका निर्धारित सरकिल रेट रू० 12,00,000/- प्रति हेक्टेयर के

७/५/८८

७/५/८८

हिस्सा की विक्रीत भूमि 0.2275 हेक्टेअर की मालियत रु० 2,78,000/- होता है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 88,800/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए तैयार की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, सातब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धवृत्त में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किराी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। बिस्वा एवं जेला दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पन्न का समस्त न्यूस जेला द्वारा बहल किया गया है।

यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "बिस्वा" एवं "जेला" में, जब तक वे प्रयोग के प्रतिकूल न हों, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

लिहाजा यह विक्रय विलेख बिस्वा व जेला के पक्ष में लिख दिया ताकि सदा रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

परिशिष्ट : निम्नलिखित सामग्री का विवरण

भूमि सारवा संख्या-139 रकबा 0.9610 हेक्टेअर में से अपना हिस्सा अर्थात रकबा 0.2275 हेक्टेअर, स्थित- ग्राम- माइरमऊ कला, परगना व तहसील- मोहनतालमन, जिला लखनऊ

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature)*



परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विवरण मूल्य रु० 12,36,235/- (दोषका बारह लाख इत्तीस हजार दो सी पैंतीस मात्र) जारिय चेक संख्या- 341548 दिनांकित 20.05.2010 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ विवेका ने अंदा से प्राप्त चिन्ट तथा जिसकी प्राप्ति विवेका स्वीकार करवा है।

नोट : पृष्ठ संख्या-10 चेक संख्या पेन से लिखा गया है।

लखनऊ

दिनांक : 28.05.2010

प्रमाणित श्री नीलेश कुमार  
1. श्री नीलेश कुमार  
2. श्री अरवि कुमार

विवेका

2. श्री अरवि कुमार  
विशेषज्ञ श्री अरवि कुमार  
श्री अरवि कुमार  
जारी अरवि कुमार

विशेषज्ञ  
श्री अरवि कुमार

राज्यपाल  
(राम लक्ष्मी)  
सिविल कोर्ट, लखनऊ

सहायिका  
(अनजय कुमार) सह  
एडवोकेट

Index

1980-1981



1982-1983

1984

1

1985-1986

1987-1988  
1989-1990  
1991-1992




गिरा नजारी

- ग्राम - गान्धिनगर बल्लो
- खजारा संख्या - 138
- विकास - बदायुण्ड नजारी
- जिला - अजमेर जिला



विकास  
अजमेर जिला

अजमेर जिला



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



1000

1000


1000

1000

1000  
1000  
1000  
1000



1000




रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु  
फिंगर प्रिंट्स

खिला का नाम व पता: नरलू पुर श्री गजेश्वर, निवासी- पाप सरसवां,  
पोस्ट-अर्जुनगंज, परगना-पिजनीर, तहसील व जिला-बलरनर.  
बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



खिला का नाम व पता-अभिकेक पुर सरसीत, निवासी-राम व पोस्ट-कुरेया, मन्दापुर्,  
पोहनतालगांज, बलरनर.


निवासी के हस्ताक्षर

*(Handwritten signature)*

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिह्न :-



निवासी के हस्ताक्षर

*(Handwritten signature)*

सं. १०३  
दि. १३/०५/२०१३  
१३६

महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार  
महाराष्ट्र  
महाराष्ट्र  
महाराष्ट्र  
महाराष्ट्र

